न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास– परसाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 173/15

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बगड़ाराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी चेनासर तहसील व जिला नागौर।		1. धुडाराम पुत्र विशनाराम जाति विश्नोई 2. नरसीराम पुत्र विशनाराम जाति विश्नोई 3. रामकुमार पुत्र विशनाराम जाति विश्नोई 4. जगदीशप्रसाद पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासीगण चेनासर तहसील व जिला नागौर 5. तहसीलदार, नागौर

आवेदन अधीन धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक 03/11/2017

यह है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 19.11 बीघा मौजा चेनासर तहसील व जिला नागौर में स्थित हैं। जिसकी नकल साथ पेश है। यह है कि खेत खसरा नम्बर 1157/648 रकबा 17.07 मौजा चेनासर तहसील व जिला नागौर में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी का रहता चला आया है। जिसकी खतौनी की नकल साथ पेश है।

यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 19.11 बीघा मौजा चेनासर तहसील व जिला नागौर में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है। प्रार्थी काश्त के मौसम में अपने खेतों में आने–जाने हेतु अन्य पड़ोसियों के खातेदारी के खेतों में से उनकी सहमति से अलग अलग खेतों में से आता जाता रहा है। स्थाई रूप से किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कभी नहीं रहा, न ही प्रार्थी के खेतों में आने जाने हेतु कोई कटाणी मार्ग ही लगता है।

यह है कि प्रार्थी को खेत में आने जाने व काश्त करने हेतु टैक्टर, छकड़ा इत्यादी ले जाने एवं पशु मवेशियों को ले जाने हेतु प्रतिवर्ष भारी परेशानी का सामना रास्ते के अभाव में करना पड़ता हे। अीी हाल ही में टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 में संशोधित 251 (ए) में रास्ते का प्रावधान दिया गया है चूंकि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक अथवा कटाणी रास्ता नहीं है इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 19.11 बीघा मौजा चेनासर में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। इस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उनके खेत में से अपने खेत तक आने जाने हेतु रास्ते की मांग भी की किन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से स्पष्ट इंकार कर दिया।

यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1157/648 रकबा 17.07 मौजा चेनासर में आने जाने हेतु केवल मात्र एक गैर कटाणी रास्ता जो अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1157/648 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे दक्षिण से उतर की तरफ प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु रास्ता है। जो रास्ता सबसे सुगम एवं नजदीकी रास्ता है इस गैर कटाणी रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत के नजदीक अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं है। जहां से प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 19.11 बीघा मौजा चेनासर तहसील व जिला नागौर

मे आने जाने हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित है। इस गैर कटाणी रास्ते को कटाणी रास्ते में परिवर्तन करने के लिए स्वयं अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों द्वारा अलग से कार्यवाही की हुई है। जिसके लिए प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रास्ते की भूमि का उचित मूल्य नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या एक का नोटिस ता0 पेशी 7.1.16 का उसके पुत्र के द्वारा तामिल हुआ। अप्रार्थी संख्या 4 पेशी दिनांक 14.6.16 को उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सम्मन दिनांक 1.8.17 को जरिये रजिस्टर्ड एडी से भिजवाये गये थे। फिर भी कोई उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 15.9.17 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 611 मे आने जाने हेतु रास्ते की मौका रिपोर्ट तहसीलदार नागौर से तलब की गयी। तहसीलदार नागौर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया की प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 611 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1157/648 मे से गुजरता है। जो नक्शे मे मार्क ए से बी है जिसकी कुल लम्बाई मात्र फुट है। अर्थात 20 फुट लम्बा गुणा 39 फुट चौडा बराबर 600 वर्गफुट भूमि रास्ते के रूप मे आती है। रास्ते मे कोई पेड पौधे निर्माण कार्य आदि नही है। खसरा नम्बर 1157/648 मे से पुश्तैनी रास्ता चल रहा है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नागौर ने भी प्रार्थी के खातेदारी के खेत मे आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 611 मौजा चेनासर मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1157/648 मे आने जाने हेतु तहसीलदार नागौर की रिपोर्ट अनुसार एवं संलग्न नक्शा मार्क ए से बी की कुल लम्बाई 20 फुट गुणा 30 फुट चौडा बराबर 600 वर्ग फुट भूमि रास्ते के रूप मे अर्थात कुल 14 बिस्वांसी भूमि रास्ते के रूप मे घोषित की जाती है। ग्राम चेनासर तहसील नागौर की डीएलसी दर 14400रूपये प्रतिबीघा की दर से 14 बिस्वांसी भूमि की दर 504 रूपये के दो गुणा 1008 रूपये होते है। जो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को रास्ते पेटे भूमि के देने हेतु तहसील कार्यालय नागौर मे जमा करवाये जाने पर तहसीलदार नागौर उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करावे। एवं 14 बिस्वासी भूमि खसरा नम्बर 1157/648 मे कम की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)
नागौर

आदेश आज दिनांक 3/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)
नागौर